वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 36

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

क. वसूलियों तथा राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		23169.55	16960.00	40129.55	24827.47	13796.69	38624.16	26500.33	26219.41	52719.74
पूंजी		*24757.92*	*10.00*	*24767.92*	*24148.92*	*619.00*	*24767.92*	...	...	...
जोड़		**47927.47**	**16970.00**	**64897.47**	**48976.39**	**14415.69**	**63392.08**	**26500.33**	**26219.41**	**52719.74**
राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदानः										
आयोजना-भिन्न अनुदान										
1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	3601	...	16620.00	16620.00	...	12220.00	12220.00	...	25874.41	25874.41
2. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के एवज़ में अनुदान	3602	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00
3. मूल्य वर्द्धित कर संबंधी व्यय के लिए राज्यों को अनुदान	3601	...	15.00	15.00	...	32.00	32.00	...	20.00	20.00
राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिमः										
आयोजना-भिन्न ऋण										
4. अर्थोपाय अग्रिम										
5.01 अदायगियां	7601	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	1000.00	1000.00
5.02 घटाइए-वर्ष के दौरान वसूलियां	7601	...	-2000.00	-2000.00	...	-2000.00	-2000.00	...	-1000.00	-1000.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. राज्य सरकारों को मध्यावधिक आयोजना भिन्न ऋण	7601	...	10.00	10.00	...	619.00	619.00	...	...	...
6. ऋणों का रूपांतरण/बट्टे खाते में डालना										
6.01 राज्य सरकारों के बट्टे-खाते डाले गए ऋण	2075	...	100.00	100.00	...	200.00	200.00	...	100.00	100.00
6.02 *घटाइए-निवल प्राप्तियां*	0075	...	-100.00	-100.00	...	-200.00	-200.00	...	-100.00	-100.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
राज्यों की आयोजनागत स्कीमों के लिए अनुदान/ऋणः										
7. एकमुश्त अनुदान	3601	23169.55	...	23169.55	24827.47	...	24827.47	26500.33	...	26500.33
8. एकमुश्त ऋण	7601	24757.92	...	24757.92	24148.92	...	24148.92	*	...	...
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत										
9. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण	2245	...	1600.00	1600.00	...	2600.00	2600.00	...	1600.00	1600.00
घटाइए-आय कर/निगम कर पर अधिभार आदि	*0021*	...	*-1600.00*	*-1600.00*	...	*-1600.00*	*-1600.00*	...	*-1600.00*	*-1600.00*
	निवल	...	...	...	...	*1000.00*	*1000.00*	...	...	...
10. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता	2245	...	1600.00	1600.00	...	2819.69	2819.69	...	1500.00	1500.00
घटाइए-एन.सी.सी.एफ.से अंतरण द्वारा पूरी की गई राशि	*8235*	...	*-1600.00*	*-1600.00*	...	*-2600.00*	*-2600.00*	...	*-1500.00*	*-1500.00*
	निवल	...	...	...	...	*219.69*	*219.69*	...	...	...
कुल जोड़		***47927.47***	***16970.00***	***64897.47***	***48976.39***	***14415.69***	***63392.08***	***26500.33***	***26219.41***	***52719.74***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
राज्य आयोजनाएं										
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	25188.07	...	25188.07	23070.00	...	23070.00	13541.28	...	13541.28
2. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	43601	7000.00	...	7000.00	8506.00	...	8506.00	587.33	...	587.33
3. अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	43601	...	...	...	2032.14	...	2032.14	...	...	...
4. विशेष केन्द्रीय सहायता-पर्वतीय क्षेत्र	43601	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	144.00	...	144.00
5. विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमा क्षेत्र	43601	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00
6. विशेष केन्द्रीय सहायता	43601	...	...	...	750.00	...	750.00	...	...	...

Website: http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	बजट 2004-2005 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	संशोधित 2004-2005 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट 2005-2006 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
7. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई)-अन्य	43601	2766.00	...	2766.00	2391.00	...	2391.00	...	...	...
8. गन्दी बस्ती विकास	43601	341.00	...	341.00	643.00	...	643.00	...	...	...
9. विशेष आयोजना सहायता	43601	700.00	...	700.00	1906.25	...	1906.25	1910.00	...	1910.00
10. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	43601	2800.00	...	2800.00	3050.00	...	3050.00	...	...	...
11. त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम/ एपीडीआरपी	43601	3500.00	...	3500.00	1700.00	...	1700.00	630.00	...	630.00
12. ग्रामीण विद्युतीकरण	43601	600.00	...	600.00	...	...	...	...	...	...
13. अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	43601	676.00	...	676.00	1055.00	...	1055.00	1182.58	...	1182.58
14. शहरी आधार ढांचा सुदृढ़ीकरण हेतु पहल	43601	500.00	...	500.00	150.00	...	150.00	...	...	...
15. राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई)	43601	3225.00	...	3225.00	1969.00	...	1969.00	...	...	...
16. किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम	43601	141.40	...	141.40	...	...	...	162.97	...	162.97
17. राष्ट्रीय ई-गवर्नैंस कारर्वाई योजना	43601	5.00	...	5.00	17.00	...	17.00	300.00	...	300.00
18. प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषाहार सहायता - मध्यान्ह भोजन योजना	43601	...	...	...	1232.00	...	1232.00	...	...	...
19. ब्रह्मपुत्र और बराक धारी में महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण और क्षरण रोधी योजनाएं	43601	...	...	...	20.00	...	20.00	...	...	...
20. घरेलू विद्युतीकरण	43601	...	...	...	...	...	...	1100.00	...	1100.00
21. गंदी बस्ती विकास हेतु शहरी नवीकरण उप-मिशन	43601	...	...	...	...	...	...	589.62	...	589.62
22. शहरी अवसंरचना और परिवहन हेतु शहरी नवीकरण उप-मिशन	43601	...	...	...	...	...	...	1027.55	...	1027.55
23. पिछड़े जिले/क्षेत्र निधि	43601	...	...	...	...	...	...	5000.00	...	5000.00
जोड़		**47927.47**	**...**	**47927.47**	**48976.39**	**...**	**48976.39**	**26500.33**	**...**	**26500.33**

* *बारहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार राज्य 28,539.22 करोड़ रुपए तक के बाजार ऋण जुटाने में समर्थ होंगे।*

इस मांग में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर देय अनुदान; राज्य आयोजनागत स्कीमों के लिए ब्लॉक अनुदान मध्यम अवधि आयोजना-भिन्न ऋण; राज्यों को अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिम तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि, को देय अनुदानों हेतु प्रावधान शामिल हैं।

ग्रामीण स्तर पर स्थाई मानव विकास के लिए ***"प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)"*** नामक एक नई योजना वर्ष 2000-2001 में आरम्भ की गई थी। यह स्कीम ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण स्वास्थ्य, पेय जल, प्राथमिक शिक्षा तथा ग्रामीण आवास पर ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य प्लान योजना के लिए अनुमान ब्लाक अनुदानों तथा ऋणों के तहत इस संबंध में शामिल किए गए हैं। वर्ष 2001-2002 से, ग्रामीण सड़क घटक "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत 100% अनुदान योजना के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्ष 2002-2003 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (अन्नपूर्णा सहित), राष्ट्रीय सम विकास योजना राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में शुरु की गई योजनाएं हैं। राष्ट्रीय सम विकास योजना को पिछड़े जिले/क्षेत्र निधि के रूप में पुनर्नामित किया गया है। वर्ष 2003-04 में किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी) अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2005-06 के दौरान घरेलू विद्युतीकरण, गंदी बस्ती विकास हेतु शहरी नवीकरण उप-मिशन और शहरी अवसंरचना तथा परिवहन हेतु शहरी नवीकरण उप-मिशन अनुमोदित किए गए हैं। मूल्य वर्द्धित कर संबंधी व्यय के लिए राज्यों को सहायता-अनुदान उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया है।

इस अनुदान के अंतर्गत शामिल प्रावधान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त मंत्रालय द्वारा अंतरित संसाधनों के अंतरण के द्योतक हैं।